संख्या-178/2026/आई/1454755/2026/23-7099/42/2026

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 **लखनऊ: दिनांक 07.09.2026**

विषयः जनपद अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चैनेज 0.00 से चैनेज 10.775 तक के मध्य (लम्बाई 9.025 कि.मी.) 04 लेन में चौड़ीकरण एवं विस्तारीकरण कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-25/पी0जे011/15पी0जे0/26, दिनांक 24-04-2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में धर्मार्थ योजनान्तर्गत जनपद अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चैनेज 0.00 से चैनेज 10.775 तक के मध्य (लम्बाई 9.025 कि.मी.) 04 लेन में चौड़ीकरण एवं विस्तारीकरण कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। उक्त परियोजना की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-102/2023/आई/291449/2023/23-11099(099)/5/2023, दिनांक 22.03.2023 द्वारा रूपये 47322.10 लाख की प्रदान की गयी थी। प्रश्नगत परियोजना की लागत में परिवर्तन के दृष्टिगत व्यय वित्त समिति द्वारा आंकलित पुनरीक्षित लागत **रू0 46645.62 लाख (रूपये चार अरब छियासठ करोड पैंतालीस लाख बासठ हजार मात्र)** की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	जनपद	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित लागत
1	2	3	4	5
1	अयोध्या	जनपद अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चैनेज 0.00 से चैनेज 10.775 तक के मध्य (लम्बाई 9.025 कि.मी.) 04 लेन में चौड़ीकरण एवं विस्तारीकरण का कार्य।	47322.10	46645.62

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध

(1) मुख्यालय द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी मुख्यालय की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(5) मुख्यालय द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(7) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(8) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। मुख्यालय का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील/बिटुमिन इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(9) मुख्यालय द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(10) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(11) प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत् मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(13) मुख्यालय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व मुख्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(15) मुख्यालय द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(16) प्रायोजनान्तर्गत यूटीलिटी शिफ्टिंग हेतु विद्युत विभाग की लागत रू0 6553.88 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। इन कार्यों के क्रियान्वयन से पूर्व लोक निर्माण विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित विस्तृत आगणन के अनुसार मुख्यालय द्वारा अपने स्तर से प्रस्तावित कार्यों का Verification & revalidation कराते हुये कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें एवं तद्नुसार यूटीलिटी शिफ्टिंग की लागत अनुमन्य की जायेगी, साथ ही यूटीलिटी शिफ्टिंग करने हेतु एन०एच०ए०आई० के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यूटीलिटी शिफ्टिंग का कार्य इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण में व्यवधान उत्पन्न न हो तथा यूटीलिटी शिफ्टिंग की पुनः आवश्यकता न हो।

(17) पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में भूमि अध्याप्ति हेतु लागत रू0 11701.43 लाख (मूल लागत में स्वीकृत है) अनुमन्य की गयी है। मुख्यालय द्वारा समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए न्यूनतम आवश्यकता एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन भूमि अध्याप्ति/अधिग्रहण सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(18) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन, कस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(19) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/ दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वित्तीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें।

(20) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित कन्टीजेन्सी मद में प्रावधानित धनराशि का व्यय सक्षम स्तर के अनुमोदन के उपरान्त वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित कार्यमदों में ही किया जायेगा।

(21) पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यों की लागत को प्रायोजना की आंकलित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को आंकलित किया गया है, उसका समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(22) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित यूटीलिटी शिफ्टिंग कार्यों हेतु सम्बन्धित विभागों से तकनीकी स्वीकृति, स्वामित्व का प्रमाण-पत्र तथा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र मुख्यालय द्वारा प्राप्त किया जाये तथा बचत धनराशि को राजकोष में जमा कराया जाये।

(23) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन, कस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-058 लेखा शीर्षक 5054-सडको तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सडके, 337-सड़क निर्माण कार्य, 12-एक मुश्त व्यवस्था, 1200 धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण, नवनिर्माण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-8-271-X-2026-27, दिनाँक 07 सितम्बर, 2026 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1) निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन ।
2) निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।
3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
4) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
5) सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
6) मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7) वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8) सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9) सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु०-4/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन।
12) राज्य योजना आयोग-1/2, 30प्र0 शासन।
13) अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14) नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०शासन।
15) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।